



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

संख्या: ए.ए.आई./विज./आरटीआई/529/2026/591-593

दिनांक: 27.07.2026

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के लिए अनुरोध।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया आपके द्वारा जमा की गई ऑनलाइन आरटीआई आवेदन AAOIN/R/T/26/00318/1 दिनांक 13.07.2026 का संदर्भ लें। उपरोक्त आरटीआई आवेदन के माध्यम से सतर्कता विभाग से सम्बंधित मांगी गई जानकारी एवं उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मांगी गई जानकारी	उपलब्ध जानकारी
7	उपर्युक्त अवधि के दौरान [REDACTED] के पर्यवेक्षण में निष्पादित सिविल कार्यों से संबंधित समस्त सतर्कता (Vigilance) टिप्पणियों, लेखापरीक्षण (Audit) आपत्तियों, शिकायतों/अभ्यावेदनों, जांचों, विभागीय पूछताछों तथा उन पर की गई कारवाई का विवरण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही संबंधित कारवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report – ATR), अनुपालन प्रतिवेदन (Compliance Report) एवं अंतिम आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी उपलब्ध कराए जाएं।	सतर्कता विभाग से सम्बंधित जानकारी, विशिष्ट ना होने के कारण उपलब्ध नहीं की जा सकती। विभागीय जांच से सम्बंधित जानकारी के लिए, सूचना के संरक्षक, जन सूचना अधिकारी/ महाप्रबंधक (मानव संसाधन)- अनुशासनिक प्रकोष्ठ हैं। लेखापरीक्षण से सम्बंधित जानकारी के लिए, सूचना के संरक्षक, जन सूचना अधिकारी/ महाप्रबंधक (वित्त)- लेखापरीक्षण हैं। Since the information sought pertaining to Vigilance Directorate is not specific, it cannot be provided. For information, pertaining to departmental inquiry, custodian of information is CPIO/GM[HR]-Disciplinary Cell. For information, pertaining to Audit custodian of information is CPIO/GM[HR]-Finance Department.

Issued
27/7/26

8 यह सूचित किया जाए कि क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान [REDACTED] के पर्यवेक्षण में निष्पादित सिविल कार्यों के सम्बन्ध में कोइ विभागीय जांच, सतर्कता जांच अथवा अन्य जांच प्रारंभ की गई थी। यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए तथा जहां जांच पूर्ण हो चुकी हो, वहां सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रकटीकरण योग्य सीमा तक अंतिम आदेश/जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराए जाएँ।	सतर्कता विभाग से सम्बंधित जानकारी, विशिष्ट ना होने के कारण उपलब्ध नहीं की जा सकती। विभागीय जांच से सम्बंधित जानकारी के लिए, सूचना के संरक्षक, जन सूचना अधिकारी/ महाप्रबंधक (मानव संसाधन)- अनुशासनिक प्रकोष्ठ है। Since the Information sought pertaining to Vigilance Directorate is not specific, it cannot be provided. For information, pertaining to departmental inquiry, custodian of information is CPIO/GM[HR]-Disciplinary Cell.
---	--

2. यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस पत्र की प्राप्ति के तिथि से 30 दिन के भीतर श्री राजगुरु जैन, महाप्रबंधक(सतर्कता), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली 110 003 को अपील कर सकते हैं।

भवदीय,
(सचिन कुमार मिश्रा)

उप. मुख्य सतर्कता अधिकारी (अन्वेषण)/केंद्रीय जन सूचना अधिकारी

आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- क) श्रीमती मीतू जैन, महाप्रबंधक (मानव संसाधन)/ केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (अनुशासनिक सेल), क्रम संख्या 7 एवं 8 के लिए आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु (RTI-MIS पोर्टल के माध्यम से दिनांक 22.07.2026 को यह आरटीआई आवेदन आपको अग्रेषित किया गया है)
- ख) श्री विजय कुमार, महाप्रबंधक (वित्त)/ केंद्रीय जन सूचना अधिकारी , क्रम संख्या 7 के लिए आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु (RTI-MIS पोर्टल के माध्यम से दिनांक 22.07.2026 को यह आरटीआई आवेदन आपको अग्रेषित किया गया है)